RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 13/2025, GCMS NO:- 2025/79

प्रार्थी–

1. श्री भवानीसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत, निवासी मेवानगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री ग्राम पंचायत मेवानगर जरिए संरपच, जिला बालोतरा।
2. श्री श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
3. श्री रतनसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत, निवासी मेवानगर, तहसील, पचपदरा जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 जो अप्रार्थी संख्या 3 के नाम ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती दुर्गेश कुमार दैय्या, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :28.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह पुत्र भवानीसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 25.04.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत मेवागनर द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा मेवानगर में पट्टा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 577.77 वर्गगज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 80 फीट स्वयं की भूमि, बदिशा दक्षिण 80 फीट भगवान सिंह, पूर्व में 70 फीट स्वयं की भूमि तथा पश्चिम में 60 फीट स्वयं की भूमि, आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता,

जिला कलक्टर बालोतरा

अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में यह कथन किया कि प्रार्थी ग्राम मेवानगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा का मूल व स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा मेवानगर की आबादी भूमि के खसरा नंबर 897/305 किस्म गैर मुमकिन आबादी में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी के स्वयं का होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना स्वामित्व की पुष्टि करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का बेटा के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर बने मकान में प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी आज भी निवासरत है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आय से मकान बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा निरन्तर निर्विघ्न रूप से किया जा रहा है, जो भूखण्ड प्रार्थी के स्वयं की निजी सम्पति है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 का कोई कब्जा या हक स्वामित्व का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिल कर कूटरचना करते हुए फर्जी व जाली तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त नाप व पडौस के बीच अवस्थित मकान मय भूखण्ड का फर्जी पट्टा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को जारी करवा लिया है, जो पंचायती राज के नियमों व वास्तविक स्थिति व तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र कुटरचित तरीके से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का सगा पुत्र होते हुए भी उसको बिना बताये तथा पडौस के रूप में बिना हस्ताक्षर करवाये पूर्ण रूप से शून्य पट्टा प्राप्त कर पंजीकृत करवाया है। अप्रार्थी संख्या 3 की आयु 40 साल की होने पर भी पट्टा जारी किया गया है, जो पुश्तैनी भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के वारिसान की सहमति आवश्यक थी, जबकि ऐसी सहमति प्रार्थी से प्राप्त नहीं कर आलोच्य पट्टा जारी किया है। पट्टे में वर्णित शर्तो अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में अति आवश्यक है कि किसी परिसर पर व्यक्ति विशेष का स्थायी निवास, मकान/कच्चे मकान से सनिर्माण के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 का पट्टा स्थल के परिसर पर कोई कब्जा आज दिन तक नहीं रहा एवं न ही है एवं न ही ऐसा कोई कच्चा या पक्का मकान बना हुआ है एवं न ही अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व का भूखण्ड रहा है। उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया गया, जिसमें तीनों ओर अप्रार्थी संख्या 3 की स्वयं की भूमि अंकित की गई है, जबकि वास्तव ऐसा नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में शपथ पत्र संलग्न है, उसमें राजपत्रित के हस्ताक्षर नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आलोचय पट्टा जारी दिनांक 09.12.2015 को प्रस्ताव संख्या 3 में पुनश्चः करके बाद में लिखा गया है तथा काट छांट की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 ने जो आवेदन किया है तथा जो नक्शा बनाया गया है, नक्शा किसने बनाया इस बाबत कोई हवाला नहीं है, स्वयं ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व आम रास्तों, नालियों बाबत स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है एवं न ही कोई नक्शा भी मौके पर कमेटी ने जाकर नहीं बनाया तथा वास्तविक स्थिति एवं आलोच्य नक्शे के नाप व पडौस की स्थिति में पूर्ण रूप से भिन्नता है व पट्टे की कार्यवाही पंचायती राज नियमानुसार नहीं अमल में लाई जाकर आनन फानन में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा आलोच्य पट्टा जो प्राप्त किया है, इससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना या नोटिस वादग्रस्त भूखण्ड पर चौराहे पर चस्पा नहीं किया गया। मात्र कागजी कार्यवाही करते

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

हुए आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। यदि वास्तव में मौके पर आकर भूखण्ड पर मकानात का मौका देख कर वास्तविक वादग्रस्त भूखण्ड पर नोटिस चस्पा किया होता तथा मौका निरीक्षण किया होता तो कोई व्यक्ति अवश्य मौके पर आता तथा वास्तविक स्थिति पट्टा पत्रावली में उपलब्ध होती। समस्त कार्यवाही गुप्त रूप से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से मिल कर की गई है जिसकी किसी को भी जानकारीनहीं होने दी। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया आलोच्य पट्टा की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व का लगातार चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थी की दिवार व कांटों की बाड़ आदि की हुई है तथा अपने स्वयं के निवास हेतु मकान, पानी का टांका, लाईट कनेक्शन लिया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 147 के तहत पंचायत को अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना था और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी थी, मगर उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से जारी किया गया पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की भारी अनदेखी की गई है एवं किसी भी नियम की पूर्ण पालना नहीं की गई है एवं न ही नियमानुसार कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण किया गया है एवं न ही मौके पर आकर पट्टा जारी करने वाले स्थल का नाप किया गया है, न ही पडौस अंकित किये गये है। इस प्रकार जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आनन फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का गला घोंटते हुए आलोच्य पट्टा पारित किया गया है जो कुटरचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत के है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह एवं गोपाल सिंह प्रार्थी भवानी सिंह के पुत्र है। गोपालसिंह फौत हो चुके है तथा अप्रार्थी संख्या 3 रतन सिंह की पत्नी भी फौत हो चुकी हैं। प्रार्थी भवानी सिंह ने अपने दोनो पुत्रो को पारिवारिक बंटवारा कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 3 के हिस्से में आया भूखण्ड का आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह स्वय का मकान है तथा पारिवारिक स्थिति के कारण वर्तमान में बाहर रहता है। उक्त सम्पति अप्रार्थी रतनसिंह को अपने पिता से प्राप्त हुई है, जिस पर सम्पूर्ण हक स्वामित्व अप्रार्थी रतनसिंह का है। उसी आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 का निजी कब्जा का उक्त वादग्रस्त भूखण्ड जिस पर ग्राम पंचायत मेवागनगर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत आबादी भूमि का विकय विलेख पटटा जारी किया गया, जिसका प्रस्ताव लिया जाकर विधि अनुसार मौका निरीक्षण कर नियमानुसार शुल्क लेकर उक्त पट्टा जारी किया गया एवं जिसका पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। पंजीकृत दस्तावेजात की वैधता विधिमान्यता देखने का अधिकार श्री न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 3 का निजी हक स्वामित्व का भूखण्ड है, जिसका किसी प्रकार से कोई लेना देना प्रार्थी का नहीं है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का पटटा जारी करने के लिए अप्रार्थी संख्या 3 रतन सिंह द्वारा 2012 में आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया तथा 2013 में मौका कमेटी का गठन किया गया एवं 09.12.2015 को पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टा पंत्रावली के नोटिस ग्राम पंचायत मेवानगर ने नियमों के मुताबिक चस्पा कर म्याद उपरांत विधि अनुसार, पत्रावली की आदेशिका ग्राम पंचायत द्वारा ही नियमानुसार बैठक आहत कर प्रस्ताव लेकर, ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर पूछताछ कर बयान लेकर उक्त सार्वजनिक बैठक में प्रस्ताव लेकर नियमानुसार आलोच्य पटटा जारी किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी पटटा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को पंचायतीराज अधिनियम के नियमों की पालना करते हुए सही व न्यायोचित जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा मिसल संख्या 543 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 09.12.2015 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 64 दिनांक 09.12.2015 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मेवानगर की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मेवानगर से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह द्वारा उक्त भूमि पर 30 वर्षों का कब्जा होना बताकर ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश अवश्य किया है, लेकिन आवेदन कब पेश किया गया की दिनांक अंकित नहीं होना पाया और न ही सरपंच के हस्ताक्षर किए गए है और न ही आलोच्य भूखण्ड का नाप अंकित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 रतनसिंह की उम्र ही वर्ष 2012 में आवेदन पेश किया उस वक्त आधार कार्ड के अनुसार 27 वर्ष होना पाया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 65 दिनांक 09.12.2015 को जारी करते समय **"पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों हेतु 100/– या 200/– रू की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने उपरांत पट्टा जारी किया किया जा सकेगा"** की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आंमत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस पर उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप अंकित नहीं किया गया है और न ही क्रमांक संख्या अंकित होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 ***"निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विकय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्रा के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी"***, की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आलोचय पट्टा जारी दिनांक 09.12.2015 को कांट छांट करना पाया गया तथा पश्चः करके आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, होना पाया गया। इसके अलावा बैठक कार्यवाही रजिस्टर में आलोच्य पट्टा पंचायतीराज के नियम 157(2) के तहत

जिला कलक्टर
बालोतरा

जारी होना बताया गया, जबकि आलोच्य पट्टा एवं आदेशिका में नियम 157(1) अंकित होना पाया गया। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल एवं आदेशिकाएं कम्प्युटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करने से संदिग्ध प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 3 के अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है, जबकि प्रार्थी के स्वामित्व की पुष्टि हेतु पत्रावली के संलग्न प्रार्थी के नाम का लाईट बिल होना पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा अप्रार्थी संख्या 31 के नाम जारी पटटा संख्या 64 दिनांक 09.12.2015 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा